

भारत सरकार,
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
कर्मचारी चयन आयोग,
ब्लॉक सं. 12, केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003

Government of India,
Ministry of Personnel, Public
Grievances & Pensions,
Department of Personnel and
Training,
Staff Selection Commission,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi – 110003.

(आयोग की वेबसाइट: <https://ssc.nic.in>)

विज्ञप्ति

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2021

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख	01-02-2022 से 07-03-2022
आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	07-03-2022 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	08-03-2022 (23:00 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि और समय	09-03-2022 (23:00 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि(बैंक के कार्य समय के दौरान):	10-03-2022
'आवेदन-पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' एवं सुधार राशि के ऑनलाईन भुगतान की तिथि	11-03-2022 से 15-03-2022 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा(टियर-1) की तिथि	मई, 2022
टियर-1 परीक्षा की तिथि(वर्णनात्मक पेपर	बाद में अधिसूचित किया जाएगा

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. 3/7/2021- नी. व यो. । (खंड-1): कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों और विभिन्न सांविधानिक निकायों/सांविधिक निकायों/ न्यायाधिकरणों आदि के लिए अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक, डाक सहायक/छंटनी सहायक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों की भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1. वेतनमान :-

- 1.1 अवर श्रेणी लिपिक (अ.श्रे.लि.)/ कनिष्ठ सचिवालय सहायक(क.स.स.) : वेतन-स्तर- 2 (19,900-63,200 रुपए)।
- 1.2 डाक सहायक (पी ए)/छंटनी सहायक(एस ए) : वेतन-स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए)।
- 1.3 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डी ई ओ) : वेतन-स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए), और : वेतन-स्तर- 5 (29,200-92,300 रुपए)
- 1.4 डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' : वेतन-स्तर- 4 (25,500-81,100 रुपए) और

2. रिक्तियां

- 2.1 रिक्तियां यथा-समय निर्धारित की जाएंगी। रिक्तियों की अद्यतन स्थिति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी (<https://ssc.nic.in>- > candidate's corner- > Tentative vacancy)

3. आरक्षण:

3.1 अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू एस)/भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) एवं शारीरिक दिव्यांग (पी डब्ल्यू डी) इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार होगा।

3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

4. शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुज्ञेय अशक्तता:

4.1 सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) को छोड़कर, ये पद निम्नलिखित दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त पाए गए हैं, जोकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 के अनुसार है:-

क्र.सं.	पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए उपयुक्त श्रेणी
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	बैठना, खड़ा होना, चलना, वंकन, पढ़ना लिखना, देखना, सुनना, बातचीत, उंगलियों का परिचालन	अल्प-दृष्टि बधिर, श्रवण दिव्यांग एक बांह, दोनों बांह, एक पैर, दोनों पैर, एक बांह पैर, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास ऑटिज्म(हल्का), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता उपर्युक्त (क) से (घ) सहित बहु दिव्यांगता
2	अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक	बैठना, खड़ा होना, चलना, उंगलियों का परिचालन, देखना, सुनना, बातचीत	दृष्टिहीन, अल्प-दृष्टि बधिर, श्रवण दिव्यांग एक बांह, दोनों बांह, एक पैर, दोनों पैर, एक बांह पैर, प्रमस्तिष्कीय प्रक्षाघात, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास ऑटिज्म (हल्का, माध्यम), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता उपर्युक्त (क) से (घ) सहित बहु दिव्यांगता
3	डाक सहायक/छंटनी सहायक	बैठना, खड़ा होना, चलना, उंगलियों का परिचालन, देखना, सुनना, बातचीत	अल्प-दृष्टि बधिर, श्रवण दिव्यांग एक पैर, अभिसाधित कुष्ठ, बौनापन, एसिड हमले से पीड़ित ऑटिज्म (हल्का, माध्यम), बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षा दिव्यांगता, मानसिक रुग्णता उपर्युक्त (क) से (घ) सहित बहु दिव्यांगता

4.2 सीमा सड़क संगठन में अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए शारीरिक मानदंडों, शारीरिक क्षमता परीक्षाओं और चिकित्सीय मानकों का ब्यौरा अनुबंध XVI पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन में किसी पद के लिए विकल्प देने से पूर्व सभी अपेक्षित मानकों को पूरा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार पदों का आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों को पूरा करने में होने पर, बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

4.3 सीमा सड़क संगठन में पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं।

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

5.1 अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व टंजानिया व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

5.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

6. आयु सीमा (01-01-2022 तक):

6.1 पदों के लिए आयु सीमा 01.01.2022 को 18 से 27 वर्ष अर्थात् अभ्यर्थी न तो 02.01.1995 से पहले और ना ही 01.01.2004 के बाद जन्म लिया हो, आवेदन करने के लिए पात्र है:-

6.2 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार हैं :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अपिव	03 वर्ष
3.	शारीरिक दिव्यांग (अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा.दि. (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा.दि. (अजा /अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों	40 वर्ष की आयु तक

	की नियमित व निरंतर सेवा की हो	
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा/अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

6.3 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरी गई जन्मतिथि और वही मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही आयु पात्रता के निर्धारण के लिए स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

6.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त 2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों के तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है।

6.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

6.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर (इसे उसका/उसकी पढा जाए) भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

6.7 स्पष्टीकरण:

भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

6.7.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- (i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त अथवा कार्यमुक्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्त हुए हों अथवा जिन्हें नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
- (ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या
- (iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

अथवा

6.7.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी;

अथवा

6.7.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

6.7.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

6.7.5 प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

6.7.6 भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

6.8 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक(जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र समझा जाएगा। अतः ऐसे मैट्रिकुलेट भूपूसै, जिन्होंने आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

6.9 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

7. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

7.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र उस समय प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/ई.डब्ल्यू.एस./शादि/भूपूसै स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अजा/अजजा/अपिव/ई.डब्ल्यू.एस./शादि/भूपूसै दर्जे का दावा करने अथवा अन्य किसी भी लाभ अर्थात् शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के लिए निर्णायक तिथि, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात् 07-03-2022 होगा।

7.3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।

7.4 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियुक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/ शादि/ई.डब्ल्यू.एस. दर्जे का दावा करते हैं या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा।

8. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

8.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड, दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।

8.2 न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने से संबंधित शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

8.3 शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रालिपिक/ पाठ वाचक की सुविधा सिर्फ तभी प्रदान की जाएगी अगर उसने ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में इस विकल्प का चयन किया हो।

8.4 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया की गई प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

8.5 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक का ब्योरा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 15.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध -II** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।

8.6 किसी अभ्यर्थी का प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी किसी अन्य शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी की इस परीक्षा में प्रलिपिक के रूप में सहायता करते पकड़ा गया तो, उन दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

8.7 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

8.8 उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

8.9 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.10 एक आँख वाले अभ्यर्थी एवं आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लेंस के साथ या उसके बिना भी सामान्य प्रश्न-पत्र सेट पढ़ने में सक्षम है और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर लिखना/अंकित करना चाहते हैं उनको इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और वे प्रलिपिक के हकदार नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा-हॉल में अपना खुद का आवर्धक लेंस लेकर आना होगा।

8.11 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

9. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: (07-03-2022 की स्थिति के अनुसार)

9.1 अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक, डाक सहायक/छंटनी सहायक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर को छोड़कर): अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो।

9.2 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर (डी.ई.ओ ग्रेड 'ए') के लिए : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक विषय के रूप में गणित सहित विज्ञान शाखा में 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

9.3 अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 07.03.2022 को अथवा उससे पूर्व अनिवार्य योग्यता अवश्य होनी चाहिए।

9.4 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो। तदनुसार, जब तक ऐसी डिग्रियाँ संगत अवधि के लिए मान्य न हों जब अभ्यर्थी ने उन्हें अर्जित किया है, उन्हें शैक्षणिक योग्यता के उद्देश्य से स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9.5 शासकीय राजपत्र में भाग-1(2) (पी) के अधीन दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण) विनियमावली, 2017 के अनुसार अभियांत्रिकी, मेडीसीन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और फिजियोथेरेपी आदि पाठ्यक्रमों के लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अधीन शिक्षण की अनुमति नहीं है। तथापि, मुकुल कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम एआईसीटीई एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (सि) सं. 382/2018 में एम. सं. 3092/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.3.2019 के आदेश के अनुसरण में बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इग्नू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।

9.6 दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने के लिए आयोग द्वारा अर्हताप्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को अनुबंधित समय-सीमा अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण पत्र जैसे इंटरमीडिएट/उच्चतर माध्यमिक/10+2/उच्च माध्यमिक की अंकतालिकाएं/अंतिम प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तिथि अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि जरूरी

शैक्षणिक योग्यता के परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाने चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि के पहले महज परिणाम की प्रक्रिया शुरू करना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरा करना नहीं है।

9.7 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा लिया जाएगा।

10. आवेदन कैसे करें :

10.1 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है। विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के **अनुबंध-III** और **अनुबंध-IV** को देखें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के नमूने **अनुबंध-III** क और **अनुबंध-IV** क के रूप में संलग्न हैं।

10.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

10.3 अगर अभ्यर्थी द्वारा सही फोटो अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के जो नमूने स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, **अनुबंध- V** में दी गए हैं।

10.4 ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय 07-03-2022 (23:00 बजे) है।

10.5 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

10.6 यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।

10.7 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पहले अभ्यर्थियों यह जरूर जांच ले कि उन्होंने फॉर्म के हर स्थान पर सही ब्योरा भरा है।

11 आवेदन शुल्क :

11.1 देय शुल्क: 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)।

11.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्लूडी) और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

11.3 शुल्क का भुगतान बी.एच.आई.एम.यू.पी.आई, वीजा, मास्टर कार्ड, मएस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड का उपयोग करके नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान को तैयार करके भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में किया जा सकता है।

11.4 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 08.03.2022 (23:00 बजे) तक किया जा सकता है। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे 10.03.2022 तक बैंक के कार्य-समय के

भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने 09.03.2022 (23:00बजे) तक चालान तैयार कर लिया है।

11.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क क.च.आ. में जमा हो गया है। यदि क.च.आ. द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैया किए गए लिंक "Payment Status" पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.6 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

12. आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [11-03-2022 से 15-03-2022 (23:00 बजे)]:

12.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन परिमाणों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

12.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

12.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

12.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित/ सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- का एक समान सुधार राशि और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित/सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- का एक समान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे चाहे उनका लिंग/श्रेणी कुछ भी हो।

12.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

12.7 एक बार भुगतान किए गए सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

12.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

13. परीक्षा केन्द्र

13.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/ वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली(3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी(3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाईंस, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211 001. http://www.ssc-cr.org
2.	पोर्ट ब्लेयर (4802), बोकारो (4201), हजारीबाग (4204), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बेहरामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), धेनकेनल (4611), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), बर्धमान (4404), दुर्गापुर (4426), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 www.sscer.org
3.	कावारत्ती (9401), बेलागवी (9002), बेंगलूरु(9001), हुबली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मेंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडूपी (9012), अरणाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)।	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरु, कर्नाटक-560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्रे.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 www.sscmpr.org

5.	ईटानगर (5001) , डिब्रूगढ़ (5102) , गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर (5111), चूडाचांदपुर (5502), इम्फाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 (www.sscner.org.in)
6.	देहरादून (2002) , हल्द्वानी (2003) , हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408) उदयपुर (2409), सीकर (2411),	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 (www.sscnr.net.in)
7.	चण्डीगढ़/ मोहाली (1601), अंबाला (1801), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), लेह (1005) , अमृतसर (1404), जालंधर (1402) , लुधियाना (1405), पटियाला (1403)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख और पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 (www.sscnwr.org)
8.	चिराला (8011), कुड्डापह (8013), गुंटूर (8001) , काकीनाडा (8009), कर्नूल (8003) , नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201) , कोयंबटूर (8202) , मदुरै (8204) , सेलम (8205) , तिरुचिरापल्ली (8206) , तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 (www.sscsr.gov.in)
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001) , आनन्द (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वदोदरा (7002), अमरावती (7201) , औरंगाबाद (7202), जलगांव(7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204) , नागपुर (7205) , नांदेड (7206) , नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 (www.sscwr.net)

13.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

13.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।

14. परीक्षा की रूप रेखा

14.1 इस परीक्षा में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (टियर- I), वर्णनात्मक पेपर (टियर- II) और कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा (टियर- III) शामिल होंगे।

14.2 प्रश्नपत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा।

14.3 विज्ञप्ति में उल्लेखित परीक्षा की तारीख अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव होने पर उसकी जानकारी सिर्फ आयोग के वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

14.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनरावेक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.5 टियर- I (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा)

भाग	विषय (अनुक्रम में नहीं हैं)	प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी चार भागों के लिए)
I	अंग्रेजी भाषा (मूल ज्ञान)	25 / 50	60 मिनट
II	सामान्य बुद्धिमत्ता	25 / 50	(पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 80 मिनट)
III	संख्यात्मक अभिरुचि: (सामान्य अंकगणितीय योग्यता)	25 / 50	
IV	सामान्य जानकारी	25 / 50	

14.5.1 टियर- I परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार-बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। भाग- II, III एवं IV के प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों, भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।

14.5.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर देते समय इस परामर्श को ध्यान में रखें।

14.5.3 अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को आयोग के विज्ञप्ति सं:1-1/2018-पी&पी-आई दिनांक-07.02.2019 के माध्यम से प्रकाशित सूत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाएगा और इस प्रकार सामान्यीकृत किए गए अंकों को अंतिम मेरिट और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

14.5.4 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजियां परीक्षा के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजियों को देखें और यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रु. का भुगतान करके अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तर कुंजी अपलोड करते समय आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले, ऑनलाइन मोड के जरिए उत्तर कुंजी के बारे में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। किसी अन्य माध्यम, जैसे- पत्र, प्रार्थनापत्र, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.5.5 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (टियर- I) के लिए निदर्शनात्मक पाठ्यक्रम:

14.5.5.1 **अंग्रेजी भाषा:** त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कृतवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रूपान्तरण, वाक्यांशों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों के फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ।

14.5.5.2 **सामान्य बुद्धिमत्ता :** इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य,

स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, रेखाचित्र अनुमान, अंकीय/आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोल्डिंग, अर्थगत श्रृंखला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृंखला, अन्तः स्थापित रेखाचित्र, अंक श्रृंखला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा।

14.5.5.3 संख्यात्मक अभिरुचि :

14.5.5.3.1 **संख्या प्रणाली:** पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध,

14.5.5.3.2 **मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं:** प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, व्याज (साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य।

14.5.5.3.3 **बीजगणित:** स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र।

14.5.5.3.4 **रेखागणित:** प्रारंभिक रेखागणितीय आँकड़े एवं वास्तविकताओं से परिचय :

त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा।

14.5.5.3.5 **क्षेत्रमिति:** त्रिकोण, चतुर्भुज, नियत बहुभुज, वृत्त, सम प्रिज्म, सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड

14.5.5.3.6 **त्रिकोणमिति:** त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता, जैसे- $\sin^2 + \cos^2 = 1$ आदि।

14.5.5.3.7 **सांख्यिकीय चार्ट:** तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग : आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन, दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट

14.5.5.4 **सामान्य जानकारी:** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

14.5.6 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता और संख्यात्मक अभिरुचि प्रश्न पत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आँकड़े इत्यादि के कोई घटक नहीं होंगे।

14.6 टियर-II (वर्णनात्मक प्रश्न-पत्र):

14.6.1 टियर-II प्रश्नपत्र लिखित परीक्षा के रूप में (पेन एंड पेपर मोड) 100 अंकों का वर्णनात्मक स्वरूप का प्रश्नपत्र होगा। वर्णनात्मक प्रश्नपत्र की अवधि एक घंटा होगी (उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी प्रदान किया जाएगा।) इस प्रश्नपत्र में एक निबन्ध/पत्र/प्रार्थनापत्र लेखन/सार लेखन को समाविष्ट किया जाएगा।

14.6.2 टियर- II में न्यूनतम अर्हक अंक 33 प्रतिशत होंगे।

14.6.3 इस प्रश्नपत्र में उत्तर या तो हिन्दी में अथवा अंग्रेजी में लिखने होंगे। आंशिक रूप से हिन्दी में और आंशिक रूप से अंग्रेजी में लिखे गए उत्तरों को शून्य अंक दिए जाएंगे।

14.6.4 अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्धारित स्थान पर अपना सही अनुक्रमांक लिखना होगा। अभ्यर्थी को उत्तर पुस्तिका में संबन्धित कॉलम में अपना हस्ताक्षर और बाएँ अंगूठे का निशान भी लगाना होगा। उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक, हस्ताक्षर, बाएँ अंगूठे का निशान ना होने पर शून्य अंक दिए जाएंगे।

14.6.5 अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका पर किसी भी तरह की व्यक्तिगत पहचान जैसे नाम, अनुक्रमांक, मोबाइल नं., पता इत्यादि ना लिखे। इन अनुदेशों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को शून्य अंक दिए जाएंगे भले ही मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हे अंक दिए गए हो।

14.7 टियर- III (कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा)

14.7.1 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए आयोग अथवा उसकी प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा उपलब्ध किए गए कम्प्यूटरों पर आयोजित की जाएगी।

14.7.2 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा का आयोजन उन शहरों में किया जाएगा जहां आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं अथवा जहां परीक्षा कराने का आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है।

14.7.3 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

14.7.4 कौशल परीक्षा में त्रुटियों की गणना दशमलव के दो स्थानों तक की जाएगी।

14.7.5 कौशल परीक्षा / टंकण परीक्षा का निम्नलिखित पद्धति के अनुसार आयोजन किया जाएगा:

14.7.6 डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कौशल परीक्षा

14.7.6.1 डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए कौशल परीक्षा अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में शामिल होने से छूट नहीं दी गई है।

14.7.6.2 कम्प्यूटर पर प्रति घंटा 8000 (आठ हजार) की- डिप्रेशन (Key Depressions) की डाटा एंट्री गति दिए हुए मूल पद्यांश के अनुसार कम्प्यूटर में शब्दों/की-डिप्रेशन की शुद्ध प्रविष्टि के आधार पर तय की जाएगी। परीक्षा की अवधि 15(पंद्रह) मिनट की होगी तथा लगभग 2000-2200 की-डिप्रेशंस का अंग्रेजी में मुद्रित पद्यांश प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा जो उसकी कम्प्यूटर में प्रविष्टि करेंगे। कम्प्यूटर पर प्रविष्टि किया गया पद्यांश कम्प्यूटर स्क्रीन पर भी डिस्प्ले किया जाएगा।

14.7.6.3 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए: दिए गए गद्यांश के अनुसार शब्दों/की-डिप्रेशन की सही प्रविष्टि के आधार पर 'कम्प्यूटर पर 15000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति' मापी जाएगी। परीक्षा की अवधि 15 (पंद्रह) मिनट होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी को अंग्रेजी में मुद्रित सामग्री जिसमें लगभग 3700-4000 की-डिप्रेशन होंगे, दी जाएगी जिसे वह कम्प्यूटर में दर्ज करेगा।

14.7.6.4 पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक के लिए पात्र अभ्यर्थियों को 5 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कौशल परीक्षा की अवधि 20 मिनट होगी।

14.7.7 अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक और डाक सहायक/छंटनी सहायक के लिए टंकण परीक्षा:

14.7.7.1 टंकण परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में टंकण परीक्षा के माध्यम के लिए विकल्प (अर्थात् हिंदी या अंग्रेजी) चयन करना होगा।

14.7.7.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए टंकण परीक्षा के विकल्प को अंतिम माना जाएगा और बाद में टंकण परीक्षा के माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

14.7.7.3 अंग्रेजी माध्यम का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को 35 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) और हिंदी माध्यम का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट (श.प्र.मि.) होनी चाहिए। 35 श.प्र.मि. और 30 श.प्र.मि. की गति क्रमशः लगभग 10500 की डिप्रेशन और 9000 की डिप्रेशन प्रति घंटे के अनुरूप हैं।

14.7.7.4 टंकण की गति दिए गए पाठ को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकण की सटीकता के आधार पर मापी जाएगी।

14.7.7.5 पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिक के पात्र अभ्यर्थियों को 5 मिनट का प्रतिपूरक समय दिया जाएगा। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए टंकण परीक्षा की अवधि 15 मिनट होगी।

14.7.7.6 टंकण परीक्षा के लिए उन दृ.दि. अभ्यर्थियों को पाठ वाचक दिए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रलिपिक का विकल्प चुना है। पाठवाचक आवंटित समय अवधि के भीतर दृ.दि. अभ्यर्थी के लिए पाठ पढ़ेगा।

14.7.7.7 यदि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी शारीरिक दिव्यांगता के कारण टंकण परीक्षा देने में स्थाई रूप से अनुपयुक्त होने का दावा करता है तो आयोग के पूर्व अनुमोदन से उसे ऐसी परीक्षा में उपस्थित होने और उसमें अर्हता प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी आयोग को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सरकारी स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान के सविल सर्जन से विहित प्रपत्र (अनुबंध-XIV) में यह प्रमाण-पत्र दे कि वह अभ्यर्थी शारीरिक दिव्यांगता के कारण टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्थाई रूप से अक्षम है। इसके अतिरिक्त, ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में टंकण परीक्षा के समय इस विज्ञप्ति में यथा-प्रकाशित अनुबंध-XI से अनुबंध-XIII में दिए गए विहित प्रपत्र में संगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयोग द्वारा टंकण परीक्षा से छूट के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. परीक्षा में प्रवेश

15.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (टियर-1) में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

15.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

15.3 परीक्षा संबंधी प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी व सूचनाओं के लिए नियमित रूप से कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात् <https://ssc.nic.in>) और अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं (ब्योरा पैरा 13.1 पर है)।

15.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

15.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

15.6 परीक्षा से लगभग तीन से सात दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

15.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही जन्म तिथि लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

15.7.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,

15.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,

15.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

15.7.4 पैन कार्ड,

15.7.5 पासपोर्ट,

15.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,

15.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम), आदि

15.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका

15.7.9 केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र

15.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.9 पैरा 8 के अनुसार शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

15.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।

15.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

16. दस्तावेज सत्यापन (डीवी)

16.1 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं. 16.4 में किए गए उल्लेखानुसार मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

16.2 अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प या तो दस्तावेज सत्यापन से पहले ऑनलाइन या दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा।

16.3 दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो और पैरा 15.7 में यथा-उल्लिखित एक वैध मूल फोटो पहचान-पत्र लाना आवश्यक है।

16.4 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

- 16.4.1 मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र
- 16.4.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- 16.4.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- 16.4.4 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र।
- 16.4.5 यदि लागू हो, तो आवश्यक प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- 16.4.6 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए:
- 16.4.6.1 अनुबंध- VIII के अनुसार वचनबंध
- .4.6.2 यदि लागू हो, तो अनुबंध-VII के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण- पत्र।
- 16.4.6.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र
- 16.4.7 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र
- 16.4.8 सरकार/सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र
- 16.4.9 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- 16.4.9.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 16.4.9.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 16.4.9.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र;
- 16.4.9.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय विलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।
- 16.4.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

17. पद वरीयताएं :

17.1 यह परीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में बहुत से पदों के लिए आयोजित की जा रही है। विभिन्न पदों और मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिए विस्तृत विकल्प अभ्यर्थियों से या तो दस्तावेज सत्यापन से पहले ऑनलाइन या दस्तावेज सत्यापन के समय लिए जाएंगे। उसके नाम पर उस पद या मंत्रालय/विभाग के लिए विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसने अपनी वरीयता नहीं दी है। दस्तावेज सत्यापन के समय पुष्टि किए गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में इसे बाद में बदला नहीं जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्पों का चयन करने में सावधानी बरतें।

17.2 बीआरओ में अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा मानकों से संबंधित आवश्यकताएं **अनुबंध- XVI** पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी बीआरओ में अवर श्रेणी लिपिक के पद का विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार एक बार आवंटित किए गए पदों को बाद में इन मानकों में अर्हता प्राप्त करने में अभ्यर्थियों की विफलता के कारण बदला नहीं जाएगा।

18. चयन का तरीका:

18.1 अभ्यर्थियों को टियर- I परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर टियर- II परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग योग्यता और अंतिम चयन के लिए किया जाएगा।

18.2 टियर- I और बाद के स्तरों में अलग-अलग पदों अर्थात (i) डाटा एंट्री ऑपरेटर, (ii) डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 'ए' और (iii) अवर श्रेणी लिपिक/कनिष्ठ सचिवालय सहायक और डाक सहायक/छंटनी सहायक के लिए अलग-अलग श्रेणी-वार कट-ऑफ होंगे।

18.3 अभ्यर्थियों को उनके टियर- I और टियर-II के प्रदर्शन के आधार पर टियर-III के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने टियर-II में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किए हों। टियर-III परीक्षा, अर्थात कौशल परीक्षा अर्हक प्रकृति की होगी।

18.4 डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु सभी अर्हक अभ्यर्थियों के लिए टियर- III में कौशल परीक्षा अनिवार्य है।

18.5 डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा अन्य पदों के लिए टियर- III में टंकण परीक्षा उन अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्हें टंकण परीक्षा में पैरा 14.7.7.7 के अनुसार छूट दी गई है, सभी के लिए अनिवार्य है।

18.6 आयोग द्वारा निर्धारित अर्हक मानकों के अनुसार कौशल परीक्षा में अर्हता प्राप्ति के अध्यक्षीन, अभ्यर्थियों को उनके टियर- I और टियर-II के प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

18.7 यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिब, भूपूसै, ईडब्ल्यूएस और शारीरिक दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मानकों में छूट देकर अर्हक किया जा सकता है।

18.8 दस्तावेज सत्यापन में अर्हक अभ्यर्थियों का अंतिम चयन और उन्हें मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का आवंटन, टियर- I + टियर- II परीक्षा में उनके प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के समय उनके द्वारा दी गयी पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

18.9 बीआरओ में अवर श्रेणी लिपिक के पद के लिए शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा मानकों से संबंधित आवश्यकताएं **अनुबंध- XVI** पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी बीआरओ में अवर श्रेणी लिपिक के पद का विकल्प देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे सभी आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार एक बार आवंटित किए गए पदों को बाद में इन मानकों में अर्हता प्राप्त करने में अभ्यर्थियों की विफलता के कारण बदला नहीं जाएगा।

18.10 अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार पहली उपलब्ध वरीयता आवंटित करने के बाद उसके नाम पर किसी अन्य विकल्प के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को बहुत सावधानी से पदों/ विभागों की वरीयता का चयन करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार चयन किए गए विकल्प/वरीयता को अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। तदनंतर किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों द्वारा पद/ विभाग के परिवर्तन के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

18.11 आयोग अभ्यर्थियों की योग्यता और उनके द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयता के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन करता है और एक बार पद आवंटित होने के पश्चात, किसी पद के लिए शारीरिक/चिकित्सीय/शैक्षणिक मानकों से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण आयोग द्वारा पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी पद के लिए उच्च वरीयता दी है तथा उस पद के लिए उसका चयन किया जाता है और उस स्थिति में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके नाम पर अन्य वरीयताओं के लिए विचार नहीं किया जाएगा और आयोग द्वारा इस संबंध में किसी पत्राचार का जवाब नहीं दिया जाएगा।

18.12 अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै, आपिव और शादि श्रेणियों के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों/उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै, आपिव और शादि अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।

18.13 अजा, अजजा, अपिव, भूतपूर्व सैनिक, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंधित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

18.14 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

18.15 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

18.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जांच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

18.17 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात् ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

18.18 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

18.19 यदि कोई अभ्यर्थी किसी टियर/स्तर में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदन्तर स्तर/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

18.20 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

19. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा:

ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी टियर-1 और टियर-11 में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-

1. टियर-11 परीक्षा में कुल अंक
2. जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है।
3. वर्णानुक्रमानुसार, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

20. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

20.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी स्तर पर निम्नलिखित कदाचारों में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों /हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष

17	छद्मवेपन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

20.2 आयोग उचित लगने पर मामले को पुलिस /जांच एजेंसी को भी रिपोर्ट कर सकता है और आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञ से मामले की जांच कराने के लिये यथोचित कार्रवाई भी कर सकता है।

21. **आयोग का निर्णय अंतिम:** पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ/ पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

22. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट या राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए: (i) अभ्यर्थी का नाम (ii) पिता/पति का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/आपिव/भूपूसै) (v) अभ्यर्थी का लिंग (vi) शैक्षिक योग्यता (vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक (viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है (ix) पूरा पता (x) ई-मेल पता। तथापि, अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा। तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है।

23. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

24. **अयोग्यता:** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

24. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।

(ग)	कर्मचारी चयन आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा /लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/शादि/ईडब्लूएस/भूपूसै के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ.)	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(छ)	देयशुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(ज)	ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य अवधि के दौरान परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है, जिसमें 'आवेदन फॉर्म सुधार के लिए विंडो' की अवधि शामिल नहीं है। इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय सावधानी बरतनी चाहिए। यदि विभिन्न पंजीकरण संख्या वाले अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो आयोग द्वारा सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे और परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है और एक से अधिक बार (किसी भी स्तर पर) परीक्षा में उपस्थित होता है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-12 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
(ञ)	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
(ट)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही जन्म तिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी

	अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ठ)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ड)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस. के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ढ)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (पैरा-15.8 के सूची अनुसार) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा-8 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ण)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(त)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(थ)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(द)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(ध)	ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। फोटोग्राफ के नमूने जो स्वीकार्य/अस्वीकार्य हैं, अनुबंध-V में दिए गए हैं।

अवर सचिव (नीति एवं योजना-I)

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम),
सुपुत्र/सुपुत्री, ग्राम/जिला/राज्य के
निवासी हूँ, जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप
और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हूँ, की जांच की है और उल्लेख करता हूँ कि दिव्यांगता के कारण उनकी
शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात् दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं (दिव्यांगता का स्वरूप) दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित (केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचना/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा।)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियुक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ङ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. प्रारंभिक विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
 - ग. घोषणा
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :
 - क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
 - ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
 - ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसा कि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
- शिक्षा बोर्ड का नाम
 - रोल नंबर
 - उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या-7: लिंग
- झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न. क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई विशिष्ट दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या: :से 18 15 अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूँ' पर क्लिक करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ईमेल आई डी पर अलग-अलग - ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।

7. आपको पुनसलाह दी जाती है कि : नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।



BASIC DETAILS

NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.

1. Do you have Aadhaar ? * Yes No

1a. Aadhaar Number
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID * Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

2a. Name *
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
 2. Please enter name without any salutation (i.e. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

2c. Have you ever changed Name? Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
 2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

4a. Mother's Name *
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate
 2. Please enter name without any salutation (i.e. Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) *
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *
Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

(iii). Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Higher Secondary (10+2)"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID*	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
* State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>



Registration No: 10000000035

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS Edit

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE
VH: Blindness and low vision.
HH: Deaf and hard of hearing.
OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.
Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

Previous
Save
Next
Reset
Close



Registration No: 10000000035

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:
 - क. हाल का (अर्थात् परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मे लगाए होनी चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्पष्ट फोटो अपलोड किया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं।
 - ख. जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
 - ग. शैक्षणिक योग्यता आदि का विवरण जैसे परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल नंबर, प्रतिशत / सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम दें।
2. अपने पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉगइन करें।
3. 'नवीनतम अधिसूचना' टैब के अंतर्गत 'संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10 +2) स्तरीय परीक्षा, 2021' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम संख्या-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। यदि आप इनमें से कोई डाटा संशोधित करना चाहते हैं, अपने डैशबोर्ड के बाएँ हाथ पर सबसे ऊपर कोने पर दिए 'Modify Registration' पर क्लिक करें और आगे जाने से पहले यथोचित रूप से एक बारगी पंजीकरण डाटा का संपादन करें।
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। परीक्षा केंद्र आप उसी क्षेत्र के भीतर चुन सकते हैं। तीनों केंद्रों के लिए विकल्प वरीयता क्रम में दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 13 देखें।
6. क्रम संख्या-16: टंकण परीक्षा का माध्यम चुनें।
7. क्रम संख्या-17: यदि आपने 12वीं या समकक्ष कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान शाखा, जिसमें गणित एक विषय के रूप में लिया गया हो, में उत्तीर्ण की है तो 'Yes' क्लिक करें अन्यथा 'No' क्लिक करें।
8. क्रम संख्या-18: यदि आप सैन्य सेवाकर्मी या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/पूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है। अतः उन्हें 'No' का विकल्प चुनना चाहिए।
9. क्रम संख्या-19.1: क्या आप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हैं अथवा नहीं, सूचना भरें।
10. क्रम संख्या-19.2: यदि लेखन हेतु आपकी शारीरिक सीमाएं हैं और आपको प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो उल्लेख करें। और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की इस विज्ञप्ति का पैरा 8 देखें।
11. क्रम संख्या-19.3 से 19.5: यदि आपको परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8 के अनुसार प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
12. क्रम संख्या-20: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
13. क्रम संख्या-21: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
14. क्रम संख्या-22: कृपया अपनी अर्हक शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
15. क्रम संख्या-23: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-22 देखें और तदनुसार भरें।
16. क्रम संख्या 24 से 26: वर्तमान और स्थाई पते से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
17. उपर्युक्त क्र. सं. 1-क में वर्णितानुसार हाल ही की फोटो (परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी) अपलोड करें। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ लें।
18. उपर्युक्त क्र. सं. 1-ख में वर्णितानुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

19. क्रम संख्या-27: अपलोड किए गए फोटो परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी न हों। यदि अपलोड की गई फोटो परीक्षा-विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं है 'Yes' पर क्लिक करें।
20. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
21. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले 'Edit/Modify' पर क्लिक करें तथा अपेक्षित परिवर्तन करें। यदि आप संतुष्ट हैं कि विवरण सही भरे गए हैं तो दी गई जानकारी का सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें।
22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
23. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-11 का संदर्भ लें।
24. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी तरह के शिकायत, यदि कोई हो तो, के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट की प्रति की आवश्यकता पड़ सकती है।

COMBINED HIGHER SECONDARY (10+2) LEVEL EXAMINATION, 2021

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	<input type="text" value="SAMPLE NAME"/>
2. New / Changed Name:	<input type="text"/>
3. Father's Name:	<input type="text" value="SAMPLE FATHER NAME"/>
4. Mother's Name:	<input type="text" value="SAMPLE MOTHER NAME"/>
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY)(as per Matriculation Certificate):	<input type="text" value="02/01/1999"/>
6. Age as on 01/01/2022:	<input type="text" value="22.11"/>
7. Gender:	<input type="text" value="Male"/>
8. Category:	<input type="text" value="UR"/>
9. Whether Person with Disability (PwD)?:	<input type="text" value="No"/>
9.1. If Yes, Type of Disability:	<input type="text"/>
10. Nationality:	<input type="text" value="Citizen of India"/>
11. Mark of Visible Identification:	<input type="text" value="MOLE ON RIGHT CHEEK"/>
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	<input type="text" value="Central Board of Secondary Education (CBSE)"/>
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	<input type="text" value="301739"/>
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	<input type="text" value="2013"/>
15. Preference of Examination Centres: *	<input type="text" value="CR-Agra(3001)"/> <input type="text" value="CR-Bareilly(3005)"/> <input type="text" value="CR-Jhansi(3008)"/>
Please see Para - 13 of the Notice	
16. Medium for Typing Test: *	<input type="text" value="English"/>
Verify Medium for Typing Test:	<input type="text" value="English"/>
17. Whether 12th standard pass in Science Stream with Mathematics as a subject from a recognized Board or equivalent (for DEO in the office of C&AG): *	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
18.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
18.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	<input type="text"/>
18.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):	<input type="text"/>

18.4. Length of service in the Armed Forces:

18.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM): Yes No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-6.4](#)

18.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

19.1. Whether suffering from Cerebral-Palsy: Yes No

19.2. Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.)?: Yes No

19.3. Whether scribe is required?: Yes No
[Please see Para - 8 of the Notice](#)

19.4. Will you make your own arrangement of Scribe?: Yes No

19.5. If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

20.1. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

20.2. If Yes, Age Relaxation code:
[Please see Para - 6.2 of the Notice](#)

21. Highest Educational Qualification: *

22. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="Delhi"/>	<input type="text" value="Central Board of Second"/>	<input type="text" value="981213"/>	<input type="text" value="67.00"/>	<input type="text"/>

23. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? * Yes No
[Please see Para - 22 of the Notice](#)

24. Correspondence Address:

State:

District:

Pin:

25. Permanent Address

State:

Pin:

Mobile Number:

Email: sample123@gmail.com

26. Contact Details for Other Nationals:

Photograph And Signature

Upload a photograph taken on or after

01-Nov-2021*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5

cm (height)

No file chosen

Upload Signature *

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0

cm (height)

No file chosen

27. Whether the photograph has been taken on or after Yes No

01-Nov-2021?:

Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled. I am willing to serve anywhere in India.

3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.

I Agree



Try Another

फोटोग्राफ के नमूने

स्वीकृत फोटोग्राफ		
		
अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने		
अत्यधिक रंगीन	बहुत नजदीक	टोपी के साथ
		
धुंधले फोटोग्राफ		
		
उल्टी फोटो	अत्यधिक गहरा रंग	धूप वाले चश्मे के साथ
		
तिरछी दृश्यमान फोटो	बहुत छोटी	चश्मे के साथ
		

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस कार्यालय या विभाग के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रू. के वेतनमान में _____ के पद पर अंतिम तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्षकी नियमित सेवा कर चुके हैं।

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 20..... में उनके बैठने में कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____

(रैंक) _____ (नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना

में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

मुहर

कार्यालय की

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं , अनुक्रमांक
..... परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ
कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक को कार्यालय में पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबन्धित हैं जो
निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986, गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित।

- @ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 _____
- @ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- @ संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967
- @ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- @ संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
- @ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और /या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

स्थान _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्दों का सामान्यतः वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/+सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट /तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

+ (प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट से नीचे के रैंक का न हो)

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

(v) प्रशासक/ प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____
ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो
भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं ----- दिनांक -----* के अंतर्गत
पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० ----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के
----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/
22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993, का.ज्ञा.सं. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 9 मार्च, 2004,
का.स. 36033/3/2004-स्था(रिज), दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और का.ज्ञा.सं. 36033/1/2013-स्था(रिज),
दिनांक 27 मई 2013** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....

दिनांक:

मुहर

*- प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें
अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** - समय समय पर यथा संशोधित

\$- अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची वही है जो अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची है।

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा
20 में दिया है।

प्रारूप-V

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. -----दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला---
----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला -----
----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -----निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने --
----- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- %(शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा
--------------------	--------------------	---

--	--	--

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निःशक्तता संबंधी मामलों में)
(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल
ही का पासपोर्ट आकार
का अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. -----दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
--- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला -----
राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं
संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए
मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम			

	दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर
----------------------	----------------------	------------------------

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र
(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)
(नियम 18(1) देखें)

निःशक्त व्यक्ति का हाल
ही का पासपोर्ट आकार
का अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. -----दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/ महिला-----
----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर ----- जिला -
----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक
जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक
निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के
अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त
निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			

15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखे

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, 2019 के लिए टंकण परीक्षा में बैठने से छूट चाहने वाले बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु.सुपुत्र / सुपुत्री/ पत्नी श्री से पीड़ित है।

नैदानिक निदान के परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगता है। (उनकी दिव्यांगताओं का संक्षिप्त विवरण)

.....
.....
.....

यह एक स्थायी विकलांगता है और उसका / उसकी दिव्यांगता, दिव्यांगता की ____% है। इस दिव्यांगता से टंकण में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है (विनिर्दिष्ट करें)

सिविल सर्जन का हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

(कार्यालय की मोहर) _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

शरीर के प्रभावित अंश को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए अभ्यर्थी का फोटोग्राफ

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी

स्थायी निवासी _____ गाँव/गली _____ डाकघर

जिला _____ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र

पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक

रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

नाम

पद.....

<p>आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो</p>
--

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय ।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सा संबंधी मानक

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की "अनुसूची-I" के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-प्रयोज्यअपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।

2. शारीरिक मापदंड: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की "अनुसूची-II" में उल्लेख किया गया है।

3. (क) चिकित्सा मानक: अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की 'अनुसूची-III' में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच: प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है:

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद चिकित्सा बोर्ड द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफ केन्द्र के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानतः चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया

जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) अस्थायी रूप से 'अनफिट'- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट'- चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुनः 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशन की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ख) शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी। पुनः मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशन की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ix) स्थायी रूप से 'अनफिट'- स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट'- चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी नियोग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुनः चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुनः चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट

बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुनः चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। पुनः चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशन की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर प्रवेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'**- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केंद्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी।

(x) **दृष्टि संबंधी मापदंड-** दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(xi) **शल्य चिकित्सा-** यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है (उदाहरणतः हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलीथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात् 2 माह के भीतर। ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **चिकित्सा योग्यता:** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानान्तरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है। सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यक्षीन होगा। निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यक्षीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा।

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा।

4. **अभ्यर्थिता रद्द करना:** यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. **नियमों में छूट की शक्ति:** जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ग' पदों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।	10 मिनट
<p>नोट- (i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है ।</p> <p>(ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।</p>			

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्र.सं.	क्षेत्र	राज्य / क्षेत्र सम्मिलित	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढशंकर, रोपड़ व चंडीगढ़), उत्तराखण्ड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डमान निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ङ	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुदुचेरी, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/पूर्व जीआरईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नहीं होगा)		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)		152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को पर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊंचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अक्षील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामांकन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं। अभ्यर्थी के किसी भी दोष से संबंधित टिप्पणी चिकित्सा परीक्षक की स्वयं की लिखावट से अनुलेखित होगी। जब कोई विशिष्ट निशान न हों, तो इस संबंध में उल्लेख करना चाहिए।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2A

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2A की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को जीआरईएफ/मेड/2A के चिकित्सा बोर्ड द्वारा पूरा किया जाएगा।

5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टियों की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा। अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए

अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं।

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु। अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

- क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)
- ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।
- ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।
- घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।
- ङ. कि वह ग्रंथियों की सूजन से पीड़ित नहीं है।
- च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका हृदय और फेफड़े स्वस्थ हैं।
- छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।
- ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।
- झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।
- ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।
- ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।
- ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।
- ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगा:-

- क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)
- ख. असामान्य चाल
- ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)
- घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर, सपाट पैर)
- ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि
- च. बधिरता
- छ. हकलाना

- ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)
- झ. यौन संचारित रोग
- ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना
- ट. वर्णाधता के मामले
- ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नीयल ओपेसिटिस
- ड. कान के पर्दे में छेद
- ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका
- ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत
- त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण
- थ. अंतःस्त्रावी विकार
- द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप > 140/95 mm Hg)
- ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले
- न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन
- प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो
- फ. केवल बाजू अर्थात् कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अक्षील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थायी रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थायी रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार हैं:-

- क. प्टेरिजियम
- ख. नेत्र शोध
- ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)
- घ. ट्रेकोमा ग्रेड III
- ङ. विपथित नासिका झिल्ली
- च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन
- छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)
- ज. पिट्टीएसिस वेर्सिकॉलर
- झ. टीनियक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि
- ञ. प्लैंटर मस्से
- ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसिल
- ठ. वेरीकोस वेंस
- ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या ब्रण, बवासीर
- ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण
- ण. गाइनेकोमस्टिया
- त. रक्त क्षीणता

थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली

द. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।

ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)

ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)

घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर

ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)

च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।

छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा

ज. थोड़ा हकलाना

झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर

ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)

ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता

ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर

ढ. वेरीसिस का कम स्तर

ण. टिनिआ वेर्सिकोलर

त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)

थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भों में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए जाने के सभी मामलों की, अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।
13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2 ए में नोट किया जाए।
14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्रायः कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यतः, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।
15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

--***--